NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

संख्या NCRES/84A/21 दिनांक 28 / 04 / 2021

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे,
प्रयागराज

विषयः—कोरोना संक्रमित रेल कर्मचारियों की मृत्यु को ''On Duty Death'' माना जाना।

महोदय,

अवगत कराना हैं कि कोविड—19 के कारण सम्पूर्ण लॉकडाउन के राष्ट्रीय संकट के समय सभी टेक्नीकल—नान टेक्नीकल वर्ग के कर्मचारियों, विशेषतया ट्रैकमैन कैटेगिरी , ड्राइवर, गार्ड , एस एण्ड टी, स्टेशन मास्टर व कन्ट्रोलर इत्यादि ने एकजुट होकर अपने जान की परवाह न करते हुये प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुॅचाने व पूरे देश में गरीब व असहाय लोगों के लिये खाद्यान्न,दवाये तथा अन्य आवश्यक सामान को पहुॅचाकर सराहनीय कार्य किया हैं।

कोराना महामारी के दूसरे फेज में, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हैं, समस्त रेल कर्मचारी अपनी जान की परवाह किये वेगैर पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से रेल के संचालन में लगे हैं ताकि जीवन रक्षक दवाये, उपकरण, आक्सीजन, खाद्यान्न व अन्य सामग्रिया कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके । इसी के साथ यह भी अवगत कराना हैं कि इस आपदा के समय में प्रयागराज , झॉसी और आगरा मण्डल के ढेरों कर्मचारी रेल की सेवा करते हुए कोरोना संक्रमित होकर अपनी जान गवां चुके हैं ।

अतः NCRES का अनुरोध हैं कि कोविड—19 महामारी के समय कोरोना संक्रमण के कारण जिन कर्मचारियों ने अपनी जान गवाई, उनकी मृत्यु को ''On Duty Death'' माना जाय ।

भवदीय

(आर.पी.सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपिः— प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज